

रेल दावा अधिकरण  
RAILWAY CLAIMS TRIBUNAL

दिल्ली / Delhi  
(प्रधान पीठ / Principal Bench)

13/15, माल रोड, दिल्ली-110054  
13/15, Mall Road, Delhi-110054

सं0 आरसीटी/दिल्ली/आउटसोर्सिंग स्टेनो/2016

दिनांक 03.03.2022

रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, दिल्ली में अंग्रेजी आशुलिपिक के पद को रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) द्वारा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि के लिए संविदा के आधार पर अस्थाई रूप से भरने हेतु नीचे उल्लिखित तारीख, समय और स्थान पर वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा ।

स्थान	दिनांक	समय
रेल दावा अधिकरण, प्रधान पीठ, 13/15, माल रोड, दिल्ली-54	15.03.2022	11.00 बजे

इच्छुक उम्मीदवार वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर आशुलिपिकों की नियुक्ति की विस्तृत निबंधन एवं शर्तों की जानकारी के लिए आरसीटी की वेबसाइट [www.rct.indianrail.gov.in](http://www.rct.indianrail.gov.in) और उत्तर रेलवे की वेबसाइट [www.nr.indianrailways.gov.in](http://www.nr.indianrailways.gov.in) पर देखें ।

संजय

अपर रजिस्ट्रार

मोबाइल नं. 9560391676

रेल दावा अधिकरण दिल्ली कार्यालय में संविदागत/आउटसोर्सिंग आधार पर आशुलिपिकों की नियुक्ति के लिए निबंधन एवं शर्तें:-

1. आशुलिपिक के पद के लिए अर्हता एवं अनुभव : "किसी भी विषय में स्नातक होने के साथ-साथ कंप्यूटर की समग्र जानकारी सहित 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि में दक्षता, एम एस वर्ड, एक्सल की जानकारी, व्यवहार-कुशल और पारस्परिक कौशल में भी दक्ष हो।" 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी आशुलिपि और कंप्यूटर पर आशुलिपि के लिप्यांतरण के लिए 50 मिनट की कौशल परीक्षा होगी।

गति	अवधि	लिप्यांतरण समय
80 शब्द प्रति मिनट	10 मिनट	50 मिनट

2. पारिश्रमिक वेतन का भुगतान दिनांक 04.09.2019 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.जा.सं. 49014/2017-इस्ट.(सी) में अंतर्विदिष्ट अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।
3. यदि नियुक्ति/ठेके के आधार पर लिया गया कोई व्यक्ति ड्यूटी से अनुपस्थित रहता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि में से यथा आनुपातिक आधार पर राशि की कटौती की जाएगी। प्रतिदिन की अनुपस्थिति के मामले में कटौती की राशि एकमुश्त राशि का 1/30 वां भाग होगी।
4. सभी कार्य दिवसों पर 9.30 बजे से 18.00 बजे तक कार्य के आठ घंटे होंगे जिसमें 13.30 से 14.00 बजे तक आधे घंटे का भोजन अवकाश होगा।
5. चूंकि रेल दावा अधिकरण एक न्यायिक संगठन है, इसलिए उम्मीदवारों को यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी गोपनीय सूचना के लीक होने पर मुकदमे सहित कोई भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
6. किसी भी पक्षकार द्वारा एक महीने पूर्व नोटिस देने पर यह संविदागत समाप्त की जा सकती है:-

- (i) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था ऐसी नियुक्ति के लिए निबंधन और शर्तों की स्वीकृति की तारीख से अधिकतम 11 महीने की अवधि के लिए अथवा जब तक क्षेत्रीय रेलवे द्वारा पदों को न भर लिया जाए, जो भी पहले हो, तक होगी।
  - (ii) उपर्युक्त संविदागत व्यवस्था दोनों पक्षकारों की सहमति से और संविदागत आधार पर लिए गए उम्मीदवार (उम्मीदवारों) के कार्य-निष्पादन के आधार पर उपर्युक्त (i) के अध्यक्षीन अगले 11 महीने के लिए और बढ़ाई जा सकती है।
7. इस योजना के अंतर्गत व्यक्तियों की नियुक्ति रेल दावा अधिकरण या रेलवे में किसी नियुक्ति की पेशकश नहीं होगी।
  8. यदि इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्तियों द्वारा किसी उपस्कर अथवा संपत्ति को जानबूझकर कोई नुकसान/हानि पहुंचाई जाती है, तो उनके मासिक वेतन से इसकी वसूली की जाएगी।

रेल दावा अधिकरण, दिल्ली पीठ में आशुलिपिक के पद को पूर्णतः संविदागत आधार पर भरने के आवेदन पत्र का फॉर्मेट

						फोटो
1.	उम्मीदवार का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)					
2.	जन्म तिथि					
3.	पिता/पति का नाम					
4.	पत्राचार का पता					
5.	स्थाई पता					
6.	टेलीफोन/मोबाइल नंबर					
	फैक्स नंबर					
	ई मेल आईडी					
	(टेलीफोन, मोबाइल नंबर एवं ई मेल अनिवार्य है)					
7.	वर्तमान व्यवसाय, यदि कोई हो					
8.	शैक्षणिक योग्यता (रिवर्स क्रमानुसार)					
	बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत	शैक्षणिक योग्यता विशेष रूप से यदि कोई हो	विशेषज्ञता प्राप्त विषय

उम्मीदवार के हस्ताक्षर